COURT भारत पाँच FIVE | COURT 1 Re. भारत एक ONE | COURT 1 Re. भारत एक रु. ONE R | 50 P. COURT FEE भारत INDIA ५० पैसे 50 PAISE

(२५) C.B.750
2

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश

प्रकरण क्र. /95-96 नि. TRMH-27A/150/96

बैजनाथ प्रसाद पुत्र कालीचरण
निवासी ग्राम महुआ तहसील पोरसा
जिला मुरैना ----- प्रार्थी

बनाम

क्रमांक ....
श्री राजाराम शर्मा 5-2-96
अभिभाषक द्वारा आज दिनांक
को प्रस्तुत 5-2-96
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

1- धर्मनारायण पुत्र प्रभूदयाल
निवासी ग्राम महुआ तहसील पोरसा
जिला मुरैना - मूल प्रति.

2- दीनानाथ पुत्र कालीचरण

3- विश्वनाथ पुत्र कालीचरण
निवासीगण ग्राम महुआ तहसील
पोरसा जिला मुरैना

4- साहबसिंह पुत्र श्रीराम उर्फ आशाराम
निवासी ग्राम पिपरई हाल एनीमाल
का पुरा तहसील पोरसा जिला मुरैना
--- तरतीबी प्रति.

फोर्म

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त चम्बल संभाग आदेश दिनांक 18-1-96 पारित प्र.क्र. 238/86-87 अपील माल, अंतर्गत धारा 50 रे. को.

श्रीमान,

निगरानी प्रार्थी निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं अभिलेख के विपरीत तथा औचित्यहीन होने से निरसन योग्य है ।

2- यह कि, अधीनस्थ अपर आयुक्त महोदय ने नामान्तरण की कार्यवाही की प्रकृति तथा नामान्तरण के उद्देश्य को समझने

10

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 150/1996 **जिला–मुरैना**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03.09.2014	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 27–04–2012 से लगातार अनुपस्थित हैं । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 03–09–2014 तक नियत होता रहा किन्तु दिनांक 27–04–12 से 03–09–14 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर न्यायहित में आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे । वहीं सुनवाई दिनांक 03–09–2014 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 1996 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । **प्रशासकीय सदस्य**	